संख्याः479 /12(1) /2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 17 नवम्बर, 2006

विषयः 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवासीय/अनावासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रूपया 243.90 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रूपया 209.69 लाख की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है। एन0एल0सी0 द्वारा अनुमोदित संलग्न कार्य योजना के अनुसार कुल रूपया 209.69 लाख(रूपया दो करोड नौ लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।
2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4– एक मुश्त प्राविधान वाले कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी शुद्धि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय मानक अवश्य सुनिश्चित करें।

......(2)

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10– पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11– कार्यालय के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं मानक के अनुसार गठित किया जाये एवं उसकी सूचना शासन को भी दी जायेगी।

12– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV –219(2006) दिनांक 29 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2007 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

14– जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संदर्भित कार्य योजना के लिये पूर्व में मुख्य राजस्व आयुक्त के स्तर से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय– व्ययक की अनुदान संख्या–07 के लेखा शीर्षक 2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख–रखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण– 29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–654/XXVII(3)/06 दिनांक 06 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

/

(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमाँयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4- निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
5- अपर सचिव, वित्त भजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8- वित्त अनुभाग-5
9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।